न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 1806/पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 602/13-14/अपील.

कमलाबाई पति जगन्नाथ कुलमी
निवासी ग्राम जोशी गुराडिया
तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

सत्यनारायण पिता रामरतन पाटीदार
निवासी ग्राम जोशी गुराडिया
तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र. ....अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 31.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक सत्यनारायण पिता रामरतन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) के समक्ष तहसीलदार, महू के नामांतरण आदेश दिनांक 08.05.1987 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि अनावेदक तथा परिवार के अन्य सदस्यों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां ग्राम जोशी गुराडिया स्थित सर्वे

क्रमांक 44, 45, 46, 86, 87, 88, 89, 90, 270, 330, 332, 333, 63/520/3 कुल सर्वे नम्बर 13 कुल रकबा 11.482 हैक्टेयर स्थित है। सन् 1986-87 में उक्त भूमियां अनावेदक के पिता रामरतन पिता भैराजी, नन्दीबाई पिता भैराजी एवं अयोध्याबाई पिता भैराजी के नाम से दर्ज रही हैं। अनावेदक अशिक्षित है तथा उसे राजस्व अभिलेखों के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। कुछ दिन पूर्व अनावेदक को जब सोसायटी से लोन लेन का काम पड़ा, तब अनावेदक को अपनी भूमियों की 30 साल का राजस्व अभिलेख प्राप्त कर पढ़े-लिखे व्यक्ति को दिखाने पर ज्ञात हुआ कि अनावेदक की उपरोक्त सर्वे नम्बरों की भूमियों में से सर्वे क्रमांक 63/520/3 रकबा 5.666 हैक्टेयर भूमि तथा कथित रूप से प्रकरण क्रमांक 10 आदेश दिनांक 08.05.1987 से रामरतन पिता भैराजी कुलमीका नाम, उपरोक्त सर्वे नम्बर की भूमि में से कम करते हुए कमलाबाई पिता जगन्नाथ कुलमी का नाम राजस्व अभिलेखों में लागू किया गया। उक्त आदेश के संदर्भ में नामांतरण पंजी प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 30.12.2010 को प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात् आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किया गया। सर्च किया गया, किन्तु किसी भी प्रकार से अनावेदक या उसके पिता या खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि के स्वत्व का अंतरण करना नहीं पाया गया। दिनांक 11.02.2010 को अनावेदक को यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रश्नाधीन भूमि के वर्ष 1986-87 के बी-1 किस्तबंदी खतौनी में उल्लेखित पंजी क्रमांक 10 के संबंध में कोई भी रिकार्ड पटवारी के पास उपलब्ध नहीं है। अतः प्रश्नाधीन भूमि धोखा-धड़ी पूर्वक तथा विधि विरूद्ध रूप से बिना किसी अधिकार एवं बिना किसी आदेश के आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई है। अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 08.05.1987 निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/अपील/2012-13 दर्ज कर दिनांक 30.07.2013 को आदेश पारित कर आवेदन निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31.05.2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30.07.2013 एवं प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश दिनांक 08.05.1987 निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील समयावधि में मान्य किये जाने के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी 2080/पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2013 से अनुविभागीय अधिकारी समय बिंदु पर पारित आदेश दिनांक 05.07.2011 यथावत रखा।

(3) अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में कोई तथ्यात्मक एवं वैधानिक निगरानी प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किया गया, उसके पैरा 8 अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में अनावेदक द्वारा तहसीलदार, महू के किसी भी प्रकरण में पारित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण के संबंध में तहसीलदार के समक्ष कोई प्रकरण संस्थित ही नहीं हुआ है। अत: अनावेदक के पक्ष में किया गया प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण प्रारंभ से ही शून्यवत होकर अधिकारितावहीन है। तहसीलदार द्वारा नामांतरण प्रकरण में संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार यह आवश्यक है कि नामांतरण में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना दी जावे/नामांतरण नियमों का नियम 27 ऐसी सूचना देना आवश्यक उपबंधित करता है। यह सूचना उन सूचनाओं के अतिरिक्त है जो संबंधित ग्राम में डोंडी पिटवाकर अथवा चौपाल पर चिपकाकर सार्वजनिक रूप से दी जावेगी। यह उपबंध अवश्य पालनीय है और इनका पालन न किये जाने पर नामांतरण की कार्यवाही नितांत अवैध मानी जावेगी। इस संबंध में 2007 RN 285, 285RN 2005, RN 355 2007 RN 82 तथा 1979 RN 474 (खण्ड न्यायपीठ) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदक के पेशी दिनांक 05.03.2018 में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि रामरतन

के स्थान पर कथित रूप से आवेदिका के नाम लिखी गई। आवेदिका ने किसी भी स्तर पर वैधानिक अंतरण का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, तहसील न्यायालय का प्रकरण भी उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण की दायरा पंजी में प्रविष्टि भी संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित हैं, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2014 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर